भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1268**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**तमिलनाडु में वन स्‍टॉप सेंटर**

**1268. श्री तिरुची शिवाः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा हिंसा से प्रभावित महिलाओं के सहयोग के लिए तमिलनाडु में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना की गई है और ये सेंटर काम करना शुरू कर दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और राज्य में इस योजना के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ओएससी की सेवाओं से असंतुष्ट महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) एवं (ख) :मंत्रालय हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करने के लिए 1 अप्रैल, 2015 से वन स्‍टॉप सेंटर स्‍थापित करने के लिए स्‍कीम को कार्यान्वित कर रहा है । इस स्‍कीम का उद्देश्‍य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्‍सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता / मामला प्रबन्‍धन, मनो-चिकित्‍सा सामाजिक परामर्श, अस्‍थायी सहायता सेवाओं सहित सेवाओं की एक समेकित रेंज तक पहुंच की सुविधा मुहैय्या कराना है । इस स्‍कीम के अंतर्गत् देश भर में चरणबद्ध ढंग से सभी जिलों में वन स्‍टॉप सेंटर स्‍थापित करने की कल्‍पना की गई है । मंत्रालय ने तमिलनाडु के सभी 32 जिलों में वन स्‍टॉप सेंटर स्‍थापित करने का अनुमोदन कर दिया है और अभी तक छह वन स्‍टॉप सेंटर प्रचालित हैं । तमिलनाडु राज्‍य को निर्मुक्‍त निधि इस प्रकार है :

(रूपए लाखों में)

|  |  |
| --- | --- |
| **वर्ष** | **निर्मुक्‍त निधि** |
| 2015-16 | 45.88 |
| 2016-17 | -- |
| 2017-18 | 38.83 |
| 2018-19 | 129.59 |

(ग) : वन स्‍टॉप सेंटर स्‍कीम के समग्र कार्यान्‍वयन का दायित्‍व संबंधित राज्‍य सरकार तथा जिला कलेक्‍टर / जिला मजिस्‍ट्रेट का है । मंत्रालय वन स्‍टॉप सेंटर के कार्यान्‍वयन की नियमित रूप से मॉनिटरिंग एवं समीक्षा कर रहा है ।

\*\*\*\*\*\*\*